न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी–डॉ0 राकेश कुमार शर्मा, आर.ए.एस.

1. अपील संख्याः 137/18 निर्णय दिनांकः– 06.08.2018

1. चैनसिंह पुत्र धोंकलसिंह जाति राजपूत निवासी मोरखाना तहसील नोखा जिला बीकानेर।

–अपीलांट्

–बनाम–

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, पूगल।

–रेस्पोडेन्ट्

अपील विरुद्व आदेश दिनांक 07–08–1987

सहायक आयुक्त उपनिवेशन छत्तरगढ़, मु. बीकानेर

उपस्थितः

1. श्री धीरेन्द्रसिंह भदौरिया, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री नन्दराम कासनिया, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट ने यह अपील सहायक उपनिवेशन आयुक्त छतरगढ़ मु. बीकानेर के आदेश दिनांक 07.8.1987 जिसके द्वारा अपीलांट् का भूमिहीन आवंटन किश्तों के अभाव में खारिज किया गया है, के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इ.गा.न.प.क्षेत्र मे राजकीय भूमि

का आवंटन एवं विक्रय) नियम 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट अपीलांटस के पति व पिता को बतौर भूमिहीन उपनिवेशन तहसील छत्तरगढ़ हाल तहसील पूगल के चक 610—200 आरडी के मुरब्बा नम्बर 69/13 के किला नम्बर 3, 4, 7, 8, 13, 14, 17, 18, 23 ता 25 में 11 बीघा कमाण्ड एवं मुरब्बा नम्बर 69/14 के किला नम्बर 3, 4, 14 ता 17, 25 में 7 बीघा इस प्रकार कुल 18 बीघा भूमि पुख्ता आंवटित हुई थी। चूंकि वरवक्त आवंटन मौके पर पानी नहीं लगता था तथा बरसात में ही खेती हो पाती थी। इसलिए बाकी समय अपीलांटस के पति व पिता गांव में मजदूरी करके अपने परिवार का भरण पोषण करता था। अकाल की स्थिति के कारण समय पर किश्तें जमा नही

करा सका। अपीलांट् का आवंटन एकतरफा किश्तों के अभाव में खारिज किया गया है तथा अन्य व्यक्ति को आंवटन कर उसके नाम खातेदारी दर्ज की जा चुकी है। इसलिए अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलांट को पात्रता अनुससार अन्यत्र भूमि आवंटन की जावे।

उन्होंने मियांद पर बताया कि अपीलाधीन आदेश क्षेत्राधिकार से बाहर पारित किया गया है जिसमें मियांद अधिनियम बाधक नहीं है। अपील जानकारी से अन्दर मियांद पेश की है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया गया है। अतः अपील अन्दर मियांद धोषित की जावे।

5. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट ने अपील मियांद बाहर पेश की है। अपील के साथ धारा 5

मियांद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में मियांद कण्डोन करने के लिए संतोषप्रद कारण अंकित नहीं किये। अपीलांटस के पति व पिता को भूमिहीन में आवंटन किया गया है किन्तु उनके द्वारा समयावधि में बकाया किश्तें जमा नही कराई। अपीलांट अब किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपीलांट की अपील खारिज की जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. अपीलांट ने अपील मियांद बाहर पेश की है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया है जिसके खण्डन में रेस्पोडेन्ट ने काउण्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया है। अतः अपील में हुए विलम्ब को दरगुजर करते हुए अपील अन्दर मियांद धोषित की जाती है।

अपीलांटस के पति व पिता को बतौर भूमिहीन उपनिवेशन तहसील छतरगढ़ हाल तहसील पूगल के चक 610—200 आरडी के मुरब्बा नम्बर 69/13 के किला नम्बर 3, 4, 7, 8, 13, 14, 17, 18, 23 ता 25 में 11 बीघा कमाण्ड एवं मुरब्बा नम्बर 69/14 के किला नम्बर 3, 4, 14 ता 17, 25 में 7 बीघा इस प्रकार कुल 18 कमाण्ड/अनकमाण्ड भूमि पुख्ता आंवटित हुई थी। किन्तु अपीलांट् द्वारा किश्तें जमा नही कराये जाने के कारण अपीलाधीन आदेश से भूमिहीन आवंटन निरस्त किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट् को बकाया किश्तें जमा कराने के लिए नोटिस जारी किया है किन्तु उस पर अपीलांट् की विधिवत तामील हीं नही कराई गई है। अपीलांट् को

आवंटित भूमि अन्य को आवंटन हो चुकी है। इसलिए अपीलांट् अन्यत्र भूमि आवंटन कराने के अधिकारी है।

7. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट की अपील स्वीकार की जाती है एवं सहायक आयुक्त उपनिवेशन छतरगढ़ मु.बीकानेर का आदेश दिनांक 07—08—1987 निरस्त किया जाकर प्रकरण उपखण्ड अधिकारी पूगल को इस आदेश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि आवंटी अपीलांट की पात्रता की जॉच करते हुए भूमि उपलब्ध होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जावे।

8. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 06.08.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 राकेश कुमार शर्मा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर